

- (ख) आवारा बैलों का बधियाकरण कर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना तथा अनुरक्षण;
- (ग) अनुदान देकर पशुओं, भेड़ों, पोल्ट्रियों आदि के उन्नत प्रजनन की शुरुआत करना और लघु प्रजनन केंद्रों का अनुरक्षण;
- (घ) संक्रमण रोगों पर नियन्त्रण और रोकथाम;
- (ङ) उन्नत घास तथा पशु चारे की शुरुआत और उनके भण्डारण के लिए उपलब्ध कराना;
- (च) प्राथमिक उपचार केन्द्र तथा पशु औषधालयों की शुरुआत तथा अनुरक्षण;
- (छ) दूध आपूर्ति उपलब्ध कराना;
- (ज) आवारा पशुओं की समस्या का समाधान ।

8. ग्रामीण तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में :-

रोजगार बढ़ाने तथा लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से कुटीर, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा विशेष रूप से :-

- (क) उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण;
- (ख) शिल्पकारों के कौशल में सुधार;
- (ग) उन्नत उपकरणों का प्रचार;
- (घ) खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड तथा अन्य अखिल भारतीय संगठनों द्वारा चलाई जा रही कुटीर, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों की स्कीमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

9. सहकारिता के क्षेत्र में:-

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता की भावना को बढ़ावा देने तथा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में सहकारी संस्थानों के आयोजन तथा प्रोत्साहन के लिए और विशेष रूप से :-

- (क) ऋण, बिक्री, उद्योग, सिंचाई और कृषि के लिए बहुद्देश्य सहकारी समितियों की स्थापना तथा प्रोत्साहन के लिए; और
- (ख) बचत, लघु बचत और बीमा स्कीमों के माध्यम से बचत को प्रोत्साहन ।

10. महिला कल्याण के क्षेत्र में :-

महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए स्कीमों का क्रियान्वयन और महिला तथा बाल कल्याण केन्द्रों, शिक्षा केन्द्रों, कला केन्द्रों तथा सिलाई-कढ़ाई केन्द्रों का अनुरक्षण ।

11. समाज कल्याण के क्षेत्र में :-

- (क) ग्रामीण आश्रय की स्कीमों का क्रियान्वयन;
- (ख) बदहाल भिखारियों की देख रेख;
- (ग) समाज कल्याण के स्वैच्छिक संस्थानों को प्रायोजित करना और उनकी गतिविधियों का समन्वय तथा सहायता;